



न्यायालय :- माननीय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

24

प्र.क. ~~12018~~ विविध - 6057/2018/सिंगरौली/भू.20

श्री सेनेन्द्र सिंह धाकड़
द्वारा आज दि. 6-10-18 लं.
प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु
दिनांक 16-10-18 रियत।

सेनेन्द्र सिंह धाकड़
प्लेफे ऑफ कोर्ट 6-10-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

कृष्णप्रताप सिंह मृत वारिसान

1. पुष्पाराज सिंह
2. सजय कुमार सिंह } पुत्रगण/पुत्री स्व.
3. मंगलावती } श्री कृष्णप्रताप सिंह
4. अजय कुमार सिंह } पुत्रगण स्व. श्री मुनीराज
5. विजय बहादुरसिंह } सिंह निवासी ग्राम मेंढोली तहसील बैढन जिला
सिंगरौली म.प्र.

— आवेदकगण

विरुद्ध

मध्य प्रदेश शासन द्वारा नायब तहसीलदार
सिंगरौली

— अनावेदक

~~Shankar~~
Santoshra Singh Dhawan
Ad.
06.10.18

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 32 म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 न्यायालय
नायब तहसीलदार बैढन(सिंगरौली) जिला सिंगरौली के प्र.क.
85/अ-06/1991-92 में पारित आदेश दिनांक 03.03.1993 के विरुद्ध
जानकारी दिनांक से अन्दर अवधि आवेदन पत्र प्रस्तुत।

माननीय महोदय,

आवेदकगण की ओर से आवेदन पत्र निम्न प्रकार पेश है :-

yes 01/10/18
6/10/18
प्रकरण के संक्षेप में तथ्य:-

1. यह कि, प्रकरण की वास्तविक स्थिति इस प्रकार है कि, कृषक ग्राम चटका तहसील बैढन जिला सिंगरौली के सम्बन्ध मे आवेदक द्वारा नायब तहसीलदार बैढन (सिंगरौली) के समक्ष एक आवेदन पत्र संहिता की

[Signature]

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

32

प्रकरण क्रमांक - विविध-6057/2018/सिंगरौली/भू.रा.

कृष्णप्रताप (मृत) विरूद्ध म.प्र.शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-06-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक अधिवक्ता श्री एस.पी.धाकड़ एवं अनावेदक शासन की ओर से अभिभाषक श्री मुकेश शर्मा उपस्थित । उभय पक्ष के प्रकरण में प्रारम्भिक तर्क सुने गये । आवेदक का तर्क है कि नायब तहसीलदार द्वारा पारित आदेश दिनांक 03-03-1993 के आदेश का पालन निम्न न्यायालय द्वारा नहीं किया जा रहा है ।</p> <p>मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक द्वारा यह आवेदन पत्र म.प्र.भू-राजस्व संहिता की धारा 32 के अंतर्गत इस न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है । तहसील न्यायालय द्वारा पारित आदेश का परीक्षण किया गया । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 03-03-1993 को आदेश पारित किया गया है । लगभग 25 वर्ष पश्चात इस न्यायालय के समक्ष उक्त आवेदन प्रस्तुत किया गया है । आवेदक द्वारा अपने आवेदन में धारा 32 के अंतर्गत निगरानी आवेदन प्रस्तुत किये जाने का उल्लेख किया है जिससे आवेदन स्पष्ट नहीं होने से त्रुटिपूर्ण है ।</p> <p>मेरे मतानुसार उक्त आवेदन उसी न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए जिसके आदेश का पालन होना है, जिससे प्रकरण का संक्षिप्त विधि अनुसार निराकरण हो सके ।</p> <p>अतः धारा 32 के अंतर्गत प्रस्तुत आवेदन प्रथमदृष्टया सुनवाई योग्य नहीं होने से अग्राह्य किया जाता है ।</p>	<p>(महेश चंद्र चौधरी) सदस्य</p>